

खाद्य सुरक्षा योजना : 10 लाख लोगों को जोड़ने के लिए खुले पोर्टल पर 22 दिन में आवेदन करने वालों की संख्या 9 लाख पार

भास्कर न्यूज़ | जयपुर

राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए नाम जोड़ने की घोषणा की थी। करीब 2 साल बाद पोर्टल शुरू हुआ जिस पर रुझान इतना है कि 22 दिन में ही आवेदन 9 लाख के पार पहुंच गए हैं। जिनमें शहरी क्षेत्रों में सोमवार तक 1,33,723 और ग्रामीण क्षेत्रों में 7,66,330 आवेदन आ चुके हैं। अब तक प्रदेश में करीब 4.46 करोड़ लोगों को राशन में गेहूं मिल रहा था। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या शहरी क्षेत्र में करीब 60 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 3.75 करोड़ है। इतने

दिन पोर्टल बंद रहने की वजह से पहले आवेदन करने वाले करीब 1.47 लाख लोगों के आवेदन पेंडिंग भी पड़े थे। गौरतलब है कि एनएफएसए सूची में नाम जोड़ने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 32 समावेशन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। श्रेणियों में अंत्योदय परिवार, बीपीएल व स्टेट बीपीएल परिवार, सामाजिक पेंशन योजनाओं के लाभार्थी, एकल महिलाएं, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, कचरा बीनने वाले परिवार, शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं, स्ट्रीट वेंडर्स, साइकिल रिक्शा चालक, कुली, एड्स व सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त, ट्रांसजेंडर सहित 32 श्रेणियां हैं।

राशन में गेहूं के अलावा चाय और नमक भी

प्रदेश में राशन की दुकानों पर गेहूं के अलावा चाय व नमक भी



उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये थे। राशन की दुकानों पर राज चाय 200 रुपये किलो और सांभर नमक 10 रुपये किलो में निर्धारित है। चाय की खरीद 173.25 रुपये प्रति किलो में खरीदी जाएगी। इसमें निगम को 5.20 रुपये प्रति किलो मार्जिन मिलेगा वहीं डीलर को 20 रुपये प्रति किलो।

योजना से अपात्र वालों के करीब 45 लाख नाम हटाए

गौरतलब है कि विभाग ने पिछले दिनों सरकारी कर्मचारियों, अपात्र और गेहूं ना ले रहे करीब 45 लाख से ज्यादा नाम निरस्त किये थे। जांच के बाद गेहूं लेने वालों में से करीब 80 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के नाम हटाए गए। इनके अलावा 1 साल से गेहूं नहीं लेने वाले करीब 3 लाख, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके करीब सठहें 8 लाख, विवाह के बाद बाहर गए 4.70 लाख और 2-3 बार नाम जुड़वाने वाले करीब 18 लाख आवेदनों को भी सूची से हटा दिया था।

आवेदन करने वालों में 7.66 लाख ग्रामीण 1.33 लाख शहरी

5 हजार राशन दुकानों के लिए भी प्रपोजल

दूसरी ओर प्रदेश में 5 हजार नई राशन दुकानें भी खोली जाएगी। इसको लेकर विभाग ने हर किले के डीएसओ से प्रपोजल मांगे थे। पहले करीब 26 हजार दुकानें हैं। नई खुलने से अब 31 हजार हो जाएगी।